भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**राज्य सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 734**
24 जुलाई, 2026 को उत्तर देने के लिए

# पीएलआई और मेगा फूड पार्क

**734 # श्री सुभाषबराला:**
**श्री नरेश बंसलः**
**श्री केसरीदेवसिंह झाला:**
**श्री बंशीलाल गुर्जर:**
**श्री शंभू शरण पटेल:**
**श्री एस. सेल्वागनबेथी**
**श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:**
**श्रीमती सीमा द्विवेदी:**
**श्री मयंककुमार नायकः**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना की वर्तमान स्थिति एवं उपलब्धियाँ क्या है;
(ख) योजना के अंतर्गत आकर्षित निवेश, प्राप्त उत्पादन तथा सृजित रोजगार का ब्यौरा क्या है;
(ग) मेगा फूड पार्कों के विकास एवं संचालन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा संगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में उनका क्या योगदान रहा है; और
(घ) खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, भारतीय खाद्य उत्पादों की ब्रांडिंग को मज़बूत करने तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में नई प्रौद्योगिकियों कोअपनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

## उत्तर

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ख):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2026-27 की अवधि के लिए ₹10,900 करोड़ के अनुमोदित परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई ) कार्यान्वित्त कर रहा है। यह योजना पात्र वृद्धिशील बिक्री को प्राप्त करने पर प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहन प्रदान करती है और इसका उद्देश्य घरेलू प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन को बढ़ावा देना, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन सृजन में सहायता करना, विदेशी बाजारों में भारतीय खाद्य ब्रांडों को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है। इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 127 कंपनियों से कुल 163 आवेदन शामिल हैं, जिसमें 69 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) शामिल हैं। अनुमोदित परियोजनाएं 22 राज्यों और 212 स्थानों पर हैं। जून 2026 तक ₹3,271.44 करोड़ के प्रोत्साहन वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना ने खाद्य प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार, बिक्री और निर्यात में वृद्धि, निवेश की जुटाव और रोजगार सृजन में योगदान दिया है। इस योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के परिणामस्वरूप 34 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का सृजन हुआ है।

पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत अनुमोदित आवेदकों ने ₹7,722 करोड़ के प्रतिबद्ध निवेश की तुलना में ₹9,207 करोड़ का निवेश किया है और 2.50 लाख के लक्ष्य की तुलना में लगभग 3.35 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। पीएलआई-सहायता प्राप्त उत्पादों की बिक्री वित्त वर्ष 2019-20 में ₹58,758 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹1,08,854 करोड़ हो गई है।

**(ग):** मंत्रालय ने वर्ष 2008 से प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना नामक अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत एक घटक योजना, मेगा फूड पार्क योजना को कार्यान्वित किया। इस योजना में प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, साझा प्रसंस्करण और सक्षम अवसंरचना के सृजन के लिए क्लस्टर आधारित हब-एंड-स्पोक दृष्टिकोण अपनाया गया। मेगा फूड पार्क योजना को दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है, जिसमें प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत 25 राज्यों में कुल 41 मेगा फूड पार्कों को अनुमोदित किया गया है, जिनमें से 25 प्रचालनरत हैं। इन परियोजनाओं से 28.57 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एलएमटीपीए) की परिरक्षण क्षमता और 15.41 एलएमटीपीए की प्रसंस्करण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। अब तक, 86,881 किसानों को लाभ हुआ है और लगभग 1,02,440 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं।

**(घ):** पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत, सरकार ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के माध्यम से विदेशों में भारतीय खाद्य उत्पादों के निर्यात और ब्रांडिंग को बढ़ावा देती है। अनुमोदित आवेदकों को विदेशों में ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर हुए पात्र व्यय के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जो अधिकतम खाद्य उत्पादों की बिक्री के 3 प्रतिशत या ₹50 करोड़ प्रति वर्ष, जो भी कम हो, तक सीमित है। पीएलआईएसएफपीआई पात्र वृद्धिशील बिक्री पर प्रदर्शन-लिंक्ड प्रोत्साहनों के माध्यम से घरेलू प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन को भी बढ़ावा देता है। अनुमोदित आवेदकों द्वारा किए गए निवेशों ने प्रसंस्करण क्षमता के विस्तार और आधुनिक प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को अपनाने में सुविधा प्रदान की है। योजना के अंतर्गत नवोन्मेषी और जैविक खाद्य उत्पादों में लगे लघु और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए एक अलग श्रेणी भी प्रदान की गई है।

इसके अलावा, मंत्रालय प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है। पीएमएफएमई योजना एक मांग आधारित योजना है जिसका उद्देश्य क्षमता निर्माण, क्रेडिट सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मार्केट लिंकेज के माध्यम से सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना या उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना 35% क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी (प्रति इकाई अधिकतम ₹10 लाख) के माध्यम से नए उद्यमों की स्थापना तथा मौजूदा उद्यमों के उन्नयन, आधुनिक प्रसंस्करण, परीक्षण, पैकेजिंग और भंडारण अवसंरचना से युक्त साझा अवसंरचना एवं साझा इन्क्यूबेशन केंद्रों (सीआईसी) की स्थापना, तथा साझा ब्रांडों के विकास, पैकेजिंग, लेबलिंग और गुणवत्ता मानकीकरण के लिए पात्र परियोजना लागत का अधिकतम 50% तक ब्रांडिंग एवं विपणन सहायता प्रदान करती है।आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने और निर्यात की तत्परता में सुधार करने के लिए, यह योजना राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान (निफ़्टेम) और राज्य स्तरीय तकनीकी संस्थानों के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उत्पाद-विशिष्ट प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

*****